मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय

क्रमांक- 806/30स0रा/2024, भोपाल,दिनांक:-15/07/2024

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय:- **राजस्व महा-अभियान (2.0)16 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के संबंध में।**

राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए, राज्य शासन के द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने हेतु राजस्व महा-अभियान 2.0 का आयोजन दिनांक 16/07/2024 से 31/08/2024 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों (RCMS) में **समय सीमा पार** लम्बित प्रकरणों (नामांतरण,बँटवारा,अभिलेख दुरूस्ती) का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक़्शे पर तरमीम, PMKISAN का सैचुरेशन, समग्र का आधार से e-KYC और खसरे की समग्र/आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन है।

इस अभियान में निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्पादित की जाए:

1. **<u>RCMS पर प्रकरण दर्ज कराना और पूर्व आदेशों का खसरों और नक़्शे में अमल</u> :**

राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकरण RCMS दर्ज कराए जाएँ । ऐसे प्रकरण जो की अभी न्यायालय में ऑफलाईन प्रचलित है, अथवा किसी कारण से नम्बर से उतर गए हों, उन्हें RCMS पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

ये देखने में आया है, कि राजस्व न्यायालय में नामांतरण, बँटवारे के आदेश पारित होने के बाद भी राजस्व अभिलेखों (खसरा/ नक़्शे) में आदेश का अमल नहीं हुआ है।

सभी राजस्व न्यायालय इन आदेशों का अभिलेखों में अमल करेंगे।ये कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी की जाए।

2. **<u>संभागायुक्त, ज़िला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालयों का निरीक्षण</u> :**

संभागायुक्त द्वारा प्रत्येक ज़िले की कम से कम एक तहसील का निरीक्षण और **कलेक्टर/ अपर कलेक्टर/ अनुविभाग अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सभी तहसीलों/ टप्पों** का शत प्रतिशत निरीक्षण 07/08/2024 तक पूरा कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि :-

i. तहसीलों और टप्पों में RCMS की व्यवस्था विधिवत लागू है, और न्यायालय में कोई भी प्रकरण ऑफ़लाइन नहीं है।
ii. पूर्व के सभी न्यायालयीन आदेशों का राजस्व अभिलेखों (खसरा/ नक़्शे) में अमल किया जा चुका है।

इस हेतु सभी संभागायुक्त एक प्रमाण पत्र दिनांक 10/08/2024 तक संलग्न प्रारूप-01 में उपलब्ध करायेंगे।

3. **<u>RCMS पर लम्बित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण</u> :**

राजस्व अधिकारियों द्वारा **30.06.2024 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लम्बित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए**, तथा नियमित सुनवाई कर नामांतरण, बंटवारा,अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाए। अभियान के दौरान प्राप्त अविवादित प्रकरणों का निराकरण भी अभियान अवधि में सुनिश्चित किया जाये। प्राप्त नामांतरण अविवादित होने की स्थित में 1 माह की समयसीमा की भीतर निराकरण किया जाए, तथा पूर्व से दर्ज बटवारा प्रकरण अविवादित बटवारा होने की दशा में तीन माह की समय सीमा में निराकरण किया जाए, साथ ही यह प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए कि दिनांक 30.06.2024 की स्थिति निराकृत प्रकरण का अभिलेख में अमल सुनिश्चित किया जा चुका है।

4. **नामांतरण :**

दिनांक 30/06/2024 को समय-सीमा बाह्य के लंबित नामातंरण प्रकरणों (विवादित/ अविवादित) का निराकरण सुनिश्चित करते हुए, दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। रिकार्ड में बहुत से भूमिस्वामी ऐसे दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इस अभियान के तहत उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज कर निराकरण किया जाए।

5. **बटवारा:**

दिनांक 30/06/2024 को समय-सीमा बाह्य के लंबित बटवारा प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे भूमि की सीमा नक्शे में उपलब्ध होने पर विवादों का निराकरण किया जा सके।

6. **अभिलेख दुरूस्ती :**

दिनांक 30/06/2024 को 06 माह की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।

7. **नक्शे में तरमीम :**

कुछ ग्रामों के खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं है और नागरिकों को उपलब्ध कराये जा रहे नक्शे पूर्णत: शुद्ध नहीं है। खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से सम्बन्धित कृषकों को समस्याओं का सामना करना पडता है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

I. **खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नही होना :**

नामांतरण/ बंटवारा आदेश के आधार पर यदि खसरे में तो बटांकन किया गया, परंतु उसकी तरमीम नक्शे पर अमल नहीं की गई हो, तब इस प्रकार की त्रुटि नक्शे में दिखाई देती है। इस प्रकार की त्रुटि को ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भूलेख पोर्टल पर "नक्शा बटांकन" (Map Rectification) मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में

तरमीम अमल का कार्य किया जा सकता है। **वर्तमान में इस प्रकार की तरमीम के प्रकरण काफी अधिक संख्या में लंबित है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाए।**

II. **<u>खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना :</u>**

नक्शे के दो पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक यूनीक खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए, इस प्रकार की त्रुटि से खसरा एवं नक्शा लिंकिंग में समस्या होती है और कम्प्यूटर यह पता नहीं कर पाता कि जिस खसरा नंबर का दोहराव हो रहा है। इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर "नक्शा संख्या अद्यतन" (Map Number/ Attribute Update) मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जाए।

III. **<u>नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नही होना :</u>**

यदि किसी खसरा नंबर के नक्शे में बटांकन दर्ज है किन्तु खसरे में मूल नंबर प्रदर्शित हो रहा है तो नक्शे में दर्ज बटांको को मर्ज कर खसरा अनुसार मूल नंबर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर "बहुल नक्शा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाए।

IV. **<u>शामिल खसरे को भिन्न किया जाना</u>**

सभी शामिल खासरो को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवम वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए।

8. **<u>समग्र-E-KYC तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग</u>:**

समग्र वेब पोर्टल, MPONLINE/ CSC के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की **e-KYC** कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, तथा इस हेतु निर्धारित राशि (रूपये 18) संबंधित MPONLINE/ CSC के कियोस्क को विभाग के द्वारा MPSEDC के माध्यम से प्रदान की जायेगी। सभी खातेदारों और उनके परिवार के सदस्यों को समग्र E-KYC करने के लिए प्रेरित किया जाए। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने के लिए एक यूटिलिटी विकसित की गयी है, MPONLINE और CSC के कियोस्क पर ये सुविधा भी नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। तथा इस हेतु

भी निर्धारित राशि संबंधित MPONLINE/ CSC के कियोस्क को विभाग द्वारा MPSEDC के माध्यम से प्रदान की जायेगी। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही इस अभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जाए।

9. **PMKISAN सैचुरेशन** :पीएमकिसान योजना सैचुरेशन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. छूटे हुए पात्र हितग्राहियों कोयोजना में जोड़ा जाए।
2. अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जाए।
3. लंबित ई-केवायसी की कार्यवाही पीएमकिसान एप, पीएमकिसान पोर्टल के माध्यम से ओटीपी द्वारा, सीएससी केन्द्र के माध्यम से बायोमेट्रिक द्वारा अथवा पीएमकिसान एप के माध्यम से फेस रिकग्निशन द्वारा पूर्ण की जाए।
4. लंबित आधार बैंक खाता डीबीटी हेतु enable करने की कार्यवाही संबंधित बैकर्स का सहयोग लेकर एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक संबंधी खाता खोलकर पूर्ण की जाए।

10. **स्वामित्व** : स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की काय्रवाही पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. दिनांक 31/07/2024 तक समस्त ग्रामें में ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य पूर्ण किया जाकर अद्यतन नक्शा सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त किए जाए।
2. आरओआर एण्ट्री की कार्यवाही सतत् रूप से की जाये, जिससे अद्यतन नक्शा प्राप्त होने पर दिनांक 05/08/2024 तक यह कार्यवाही पूर्ण हो सके।
3. दिनांक 12/08/2024 तक अधिक से अधिक ग्रामों का अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।
4. दिनांक 15/08/2024 को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोहपूर्वक सुनिश्चित किया जाए।
5. दिनांक 31/08/2024 तक योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाए।

11. **फार्मर रजिस्ट्री** -

प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.inपोर्टलके माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि कृषक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकें एवं नियमानुसार पात्रता होने पर

30 मिनिट में राशि किसानों को प्राप्त हो सके साथ ही इसके माध्यम से पीएमकिसान योजना हेतु आवेदन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

1. पीएमकिसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसम्बर 2024 से अनिवार्य किया गया है, अत: संलग्न प्रक्रिया अनुसार कृषक स्वयं अथवा पटवारी फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
2. छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन भी संबंधित पटवारी द्वारा किया जा सकता है एवं किसान भी उक्त पोर्टल एवं एप के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं।
3. आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगा, अत: इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
4. 15 अगस्त 2024 के समारोह में जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी की प्रति प्रदान की जाए।
5. सोशल मीडिया पर फार्मर आईडी के साथ #MYFRMP, #MPFR2024 किसानों द्वारा फोटो अपलोड किए जाए। अपलोड किए गए फोटो में से प्रदेश स्तर पर 03 फोटो का चयन कर संबंधित कृषक को पुरस्कृत किया जाए।

12. प्रचार-प्रसार:

1. अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रगति की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जिलों द्वारा प्रतिदिन साझा की जाए।
2. प्रत्येक ग्राम में फलेक्स चस्पा कर/ दीवार लेखन कर अभियान के प्रचार-प्रसार किया जाए।

अभियान के समन्वय हेतु श्रीमती नमिता खरे, अपर संचालक, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल (9406723636) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राजस्व महा-अभियान की जिलेवार प्रगति राजस्व महा अभियान डैशबोर्ड (सारा पोर्टल), में उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) पर राजस्व अधिकारी अपने स्वयं के न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अभियान की प्रगति देख सकेंगे।

13. **पुरुस्कार:**

उत्कृष्ट कार्य करने वाले संभागायुक्त, कलेक्टर/अपर कलेक्टर , अनुविभाग अधिकारी, तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक/ पटवारी को अभियान के समापन पर पुरस्कृत किया जाएगा।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक- 807/उ०रा०/2024 भोपाल,दिनांक:-15/07/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. सचिव (श्री भरत यादव), , मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. उपसचिव,मुख्य सचिव, कृपया मुख्य सचिव को अवगत कराने का अनुरोध है
4. प्रमुख सचिव जनसम्पर्क
5. आयुक्त जनसम्पर्क, कृपया व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश- कृपया नियमित समीक्षा हेतु dashboard तैयार करें और दैनिक प्रगति से अवगत कराए, नियमित प्रेस रिलीज़ भी जारी करें
8. प्रबंध संचालक MPSEDC - आवश्यक तकनीकि कार्य और MOPNLINE/ CSC कियोस्कों को onboard करने की कार्यवाही समयसीमा में पूरा करें।
9. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त के द्वारा संभाग के ज़िलों का भ्रमण तथा नियमित समीक्षा कर अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी ।
10. क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख, संभाग समस्त ।
11. अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला समस्त।
12. अतिरिक्त संचालक, MPLRS भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग